रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1175] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 28, 2009/श्रावण 6, 1931

No. 1175] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 28, 2009/SRAVANA 6, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2009

का.आ. 1847(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित भारत सरकार का उपक्रम मैसर्स भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरक कंपनी" कहा गया है) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय इंदिरा गांधी मार्ग, सेक्टर IV, बोकारो स्टील सिटी-827004 और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित भारत सरकार के उपक्रम मैसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरिती कंपनी" कहा गया है) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 के साथ अंतरक कंपनी द्वारा वर्तमान में स्वामित्व वाले और प्रचालित उपक्रम को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए एकल कंपनी में समामेलित होना चाहिए जो आधुनिक और पर्याप्त कृत्यों को समर्थ बनाने, और वित्तीय व्यवहार रीति, प्राप्त आकार, पैमानों समर्थन और उच्चतर वित्तीय क्षमता को प्राप्त करने के लिए इस्पात विनिर्माण उद्योग के लिए मदें और आवश्यक सामग्री उत्पादित कर रही है ताकि देश की समस्त इस्पात विनिर्माण क्षमता के पर्याप्त उपयोजन में योगदान हो सके ।

और अंतरक कंपनी को 1992 में तकनीकी अप्रचलन, पुराने संयंत्र और उपस्कर, कम क्षमता में उपयोजन, अंतिम उत्पादों की निम्न कीमत में वसूली और आवश्यक पूंजी विनिधान की कमी के कारण इसके लाभ में क्षरण होने पर इसे बोर्ड फॉर इंडस्ट्रीज एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन (बी.आई.एफ.आर.) को निर्दिष्ट किया गया था;

और बी.आई.एफ.आर. की सिफारिश पर 1996, 1999 और 2002 वर्षों में तीन पुनरुज्जीवन पैकेजों को क्रियानवित किया गया था किंतु अंतरक कंपनी पुनरुज्जीवत नहीं हो सकी और हानि का होना बना रहा था और नकारात्मक नेटवर्थ था ;

और बी.आई.एफ.आर. के सम्यक अनुमोदन के पश्चात भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पत्र सं.संदर्भ सं0 4(52)/2005-एच.एस.एम तारीख 2 मई, 2008 द्वारा अंतरक कंपनी का अंतरिती कंपनी के साथ समामेलन की मंजूरी दी गई थी और उन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 के अधीन समामेलन की प्रकिया आरंभ करने की अनुज्ञा दी गई है ।

और अंतरक कंपनी के निदेशक मंडल ने 10 जुलाई, 2008 को अपने बोर्ड की बैठक में समामेलन स्कीम का अनुमोदन कर दिया है । और इसमें शेयर धारकों ने 12 सितंबर, 2008 को हुए अपने वार्षिक साधारण अधिवेशन में समामेलन की स्कीम का अनुमोदन कर दिया है । उसी तरह अंतरिती कंपनी के निदेशक बोर्ड ने 27 जून, 2008 को हुई बोर्ड की बैठक में समामेलन स्कीम को मंजूरी दे दी थी, और इसमें शेयर धारकों ने 10 सितंबर, 2008 में हुई अपने वार्षिक साधारण अधिवेशन में समामेलन की स्कीम का अनुमोदन कर दिया है ;

और मुबई स्टाक एक्सचेंज से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है जहां अंतरीति कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं ;

और उक्त कंपनियों के समामेलन की बाबत प्रारूप आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा 25 नवंबर, 2008 को पारित किया गया था जिस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अंतरिती कंपनी के अनुरोध पर पश्चातवर्ती विचार किया गया और 22 जनवरी, 2009 पुनरीक्षित किया गया अंतरिती कंपनी द्वारा समामेलन की स्कीम को पुनरीक्षित प्रारूप आदेश के साथ दो समाचार पत्रों अर्थात् : उनमें से एक अंग्रेजी दैनिक "हिंदुस्तान टाइम्स" नई दिल्ली और रांची संस्करण तथा हिंदी दैनिक हिंदुस्तान नई दिल्ली, रांची, जमशेदपुर, धनबाद संस्करण में और अंतरण कंपनी द्वारा धनबाद संस्करण 30 जनवरी, 2009 में प्रकाशित किया गया था और धनबाद के अंग्रेजी दैनिक "हिंदुस्तान टाइम्स 31 जनवरी, 2009 को रांची संस्करण तथा 1 फरवरी, 2009 को दैनिक "हिंदुस्तान" के धनबाद और रांची संस्करण में प्रकाशित कराया गया था और दोनों कंपनियों की वेबसाइट में भी दर्ज में किया गया था ;

और दोनों कंपनियों के शेयरधाराकों से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे । अंतरक कंपनी के भूतपूर्व कर्मचारियों के साथ ही कर्मचारियों के संघ से आक्षेप प्राप्त हुए थे जिन्हें 12 मई, 2009 को सुना गया था और पूर्वोक्त कंपनियों के प्रतिनिधियों और उनके काउंसेलों को भी सुना गया था । अंतिम सुनवाई 28 मई, 2009 को नियत की गई थी जिसमें सभी आक्षेप कर्ताओं को सुने जाने का अवसर और उनके लिखित उत्तर दिए जाने का अवसर दिया गया था क्योंकि कतिपय आक्षेप कर्ता ने सभी को सुने जाने का अवसर दिए जाने का, की प्रार्थना की थी ।

और कंपनी रजिस्ट्रार दिल्ली और हरियाणा, जहां अंतरिती कंपनी रजिस्ट्रीकृत है और कंपनी रजिस्ट्रार बिहार और झारखंड पटना जहां अंतरक कंपनी रजिस्ट्रीकृत है, से टीका टिप्पणियां प्राप्त हुई थी । कंपनी रजिस्ट्रार बिहार और झारखंड, पटना से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे । कंपनी रजिस्ट्रार दिल्ली, हरियाणा ने प्रस्तावित समामेलन स्कीम पर अपने विचार व्यक्त किए थे जिन पर विचार किया गया है ।

और आक्षेपकर्ता (अंतरक कंपनी के भूतपूर्व कर्मचारी, कर्मचारी और विभिन्न कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि) ने वांछा की थी कि उक्त दोनों कंपनियों के विलय की बाबत केन्द्रीय सरकार के विनिश्चय के पूर्व अंतरक और अंतरिती कंपनियों द्वारा निम्नलिखित शिकायतों को दूर किया जाना चाहिए ।

(i) अंतरक कंपनियों द्वारा 1997 से मजदूरी पुनरीक्षण की बाबत अपने कर्मचारी संघ के साथ जो एमओयू 22.03.2007 को हस्ताक्षरित किया था, प्रभावी बनाए रखना चाहिए ;

(ii) उपरोक्त मजदूरी करार के अनुसरण में अंतरक कंपनी के कर्मचारियों को संदत्त अग्रिम दस हजार रुपए को उनसे वसूल नहीं किया जाना चाहिए ।

(iii) मंत्रिमंडल विनिश्चय के अनुसार समामेलन के लिए प्रभावी तारीख "नियत तारीख" अर्थात 01.04.2007 होनी चाहिए ;

(iv) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होनी चाहिए क्योंकि यह अंतरिती कंपनी के कर्मचारियों के लिए अनुज्ञात है ;

(v) कर्मचारियों/भूतपूर्व कर्मचारियों के लिए चिकित्सीय फायदे अंतरिती ; कंपनी के सेवा नियमों के अनुसार होने चाहिए ;

(vi) अंतरक कंपनी के वे कर्मचारी जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) का विकल्प किया था और उन्हें उपदान की रकम को सत्रह मास के पश्चात् संदत्त किया गया था । ऐसे मामलों के विलंब की अवधि के लिए ब्याज का संदाय किया जाना चाहिए ;

(vii) अंतरिती कंपनी को न्यायालय के आदेशों द्वारा पालन करने के लिए सहमत होना चाहिए क्योंकि कर्मचारियों और भूतपूर्व कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और संदाय के बाबत अनेक मुद्दे विचाराधीन हैं ;

और अंतरक कंपनी के कर्मचारियों भूतपूर्व कर्मचारियों, कर्मचारियों संघो के आक्षेप रामामेलन स्कीम के विरुद्ध नहीं थे किन्तु मुद्दों से संबंधित आक्षेपों का ऊपर कथन किया गया है ।

सुनवाई के क्रम के दौरान अंतरिती कंपनी के काउंसेल ने फोरम के आदेश की ओर ध्यान आकर्षित किया है और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से धारा 394 के अधीन विलय और समामेलन से संबंधित उच्चतम न्यायालय के कतिपय निर्णयों को उदधृत किया है तथा यह कथन किया है कि न्यायालय तभी दखल दे सकता है जब समामेलन स्कीम ठीक और उचित नहीं है या शेयर धारक के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है अंतरक कंपनी के कर्मचारी जो कंपनी के शेयर धारक नहीं हैं, उनके आक्षेपों को सुना नहीं जा सकता है और इस फोरम द्वारा उन पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है । उन्होंने यह और इंगित किया है कि अंतरक कंपनी के प्रबंधन और उनके कर्मचारी संघ के समझौता ज्ञापन के अनुसार वेतन गया पुनरीक्षण किया गया है इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार नहीं किया क्योंकि कंपनी की वित्तीय प्रास्थिति उसे अनुज्ञात नहीं करती थी, कंपनी लगातार घाटे में थी और इसका नकरात्मक नेटवर्थ था ।

और कंपनी अधिनियम की धारा 396 के अधीन मामला विचाराधीन था । कंपनी अधिनियम की धारा 396 के अधीन समामेलन स्कीम के संपोषण या व्यवहार्यता की जांच

करते समय कमचारियों के हितों पर वृहत्तर लोक हित में निश्चित रूप से ध्यान देना होगा । यह स्थिति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के सामंजस्य से है ।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 396 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त दो कंपनियों के समामेलन के लिए उपबंध करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है :

1. **संक्षिप्त नाम**--इस आदेश का संक्षिप्त नाम भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड और स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड समामेलन आदेश, 2009 है ।

2. **परिभाषाएं**--इन आदेश में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) **"अधिनियम"** से कंपनी अधिनियम 1956, अभिप्रेत है ;

(ख) **"नियत तारीख"** से 1 अप्रैल, 2007 अभिप्रेत है ; विलय को 1 अप्रैल 2007 से प्रभावी समझा जाएगा और उस तारीख से आगे अंतरक कंपनी कर्मचारियों के फायदे सहित सभी विधिक और लेखा प्रयोजनों के लिए अंतिरिती कंपनी हो जाएगी ;

(ग) **"स्कीम"** से अधिनियम की धारा 396 के अनुसरण में स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड के समामेलन की स्कीम अभिप्रेत है ;

(घ) **"अंतरिती कंपनी"** से कंपनी के उपबंधों के अधीन निगमित सरकारी कंपनी स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड अभिप्रेत है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 है ।

(ङ) **"अंतरक कंपनी"** से अधिनियम के उपबंधों के अधीन निगमित सरकारी कंपनी भारत रिफैक्ट्रीज लिमिटेड अभिप्रेत है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय इंदिरागांधी मार्ग, सेक्टर IV बोकारो स्टील सिटी-827004 है ।

3. **शेयर धारक पैटर्न**

31 मार्च, 2007 को दो कंपनियों का शेयर पैटर्न निम्न प्रकार है :--

(क) 31 मार्च, 2007 को अंतरक कंपनी की पूंजी संरचना निम्न प्रकार है :

प्राधिकृत	रकम रुपए में
साधारण शेयर : 10 रुपए प्रत्येक के साधारण शेयर की संख्या 23,30,00,000	233,00,00,000
10, रुपए प्रत्येक के 1,29,00,000 असंचनीय मोचनीय अधिमानी शेयर, अधिमानी शेयर	12,90,00,000
10 रुपए प्रत्येक के 50,000 7.5 % असंचनीय मोचनीय अधिमानी शेयर 50,000 7.5 %	5,00,000
10 रुपए प्रत्येक के शेयर संचनीय मोचनीय अधिमानी शेयर 50,000 9.5 %	5,00,000

निर्गमित अभिदाय किया गया और संदत्त :	रकम रुपए में
साधारण शेयर : 10 रुपए प्रत्येक के 21,76,90,800 साम्या शेयर	217,69,08,000
अधिमानी शेयर : 31 मार्च, 2005 को मोचन के लिए देय 10 रुपए प्रत्येक के 1,20,50,000 सात प्रतिशत असंचनीय अधिमानी मोचनीय शेयर	12,05,00,000
10 रुपए प्रत्येक के 13,450, 7.5 % संचयी मोचनीय अधिमानी शेयर (31 मार्च, 2015 को मोचन के लिए देय)	1,34,500
10 रुपए प्रत्येक के 40,000 9.5 % संचयी मोचनीय अधिमानी शेयर (31 मार्च, 2015 को मोचन के लिए देय)	4,00,000

(ख) 31 मार्च, 2007 को अंतरिती कंपनी की पूंजी संरचना निम्नानुसार है :--

प्राधिकृत :	रकम रुपए में
10 रुपए प्रत्येक के 50,000 9.5 % शेयर संचनीय मोचनीय अधिमानी शेयर	5000,00,00,000
निर्गमित अभिदायी और संदत्त : 10 रुपए प्रत्येक के 41304,00545 साधारंण शेयर	4130,40,05,450

(ग) 10 रुपए प्रत्येक के 13,450 7.5 प्रतिशत संचयी मोचनीय अधिमानी शेयर जो मोचन के लिए 31 मार्च, 2015 को देय हैं उनको मैसर्स एक्सिस बैंक लिमिटेड से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसरण में 10 रुपए प्रति शेयर मूल्यांकन किया गया है । शेयर धारक जिसका स्वामित्व है और 10 रुपए प्रत्येक 7.5 प्रतिशत संचयी मोचनी या अधिमानी शेयर धारण करता है, नकद में 10 रुपए प्रति शेयर का हकदार होगा । इसमें अतिरिक्त ऐसे प्रत्येक अधिमानी शेयर धारक को अधिमानी लाभांश के बकाया को नकद संदत्त किया जाएगा । कुल प्रतिकार राजपत्र में इस अधिसूचना में प्रकाशन की तारीख से 60(साठ) दिन के भीतर संदेय होगा ।

(घ) 10 रुपए प्रत्येक के 40,000 9.5 प्रतिशत संचयी मोचनीय अधिमानी शेयर जो 31 मार्च, 2015 को मोचन के लिए देय हैं, मैसर्स एक्सिस बैंक लिमिटेड से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसरण में 10 रुपए प्रति शेयर पर 31 मार्च 2007 को मूल्यांकन किया गया हैं । प्रत्येक शेयर धारक जिसका स्वामित्व है और 10 रुपए प्रत्येक 9.5 प्रतिशत संचयी मोचनी अधिमानी शेयर धारण करता है, नकद में 10 रुपए प्रति शेयर का हकदार होगा । इसके अतिरिक्त, प्रत्येक ऐसे अधिमानी शेयर धारक को अधिमानी लाभांश में बकाया का नकद भुगतान किया जाएगा । कुल प्रतिकर, राजपत्र में इस आदेश में प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ दिन) के भीतर देय होगा ।

(ङ) भारत सरकार से भिन्न प्रत्येक साधारण शेयर धारक जिसका स्वामित्व है और अंतरक कंपनी में 10 रुपए प्रत्येक पूर्ण संदत्त साधारण शेयर धारण करता है, वह 10 रुपए, नकद प्रति साम्या शेयर के प्रतिकर का हकदार होगा जिसका मूल्य मैसर्स एक्सिस बैंक लिमिटेड से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट द्वारा 3.31 रुपए प्रति साधारण शेयर के मूल्यांकन द्वारा अंतरिती कंपनी में विनिश्चय पर पहुंचा है । प्रतिकर, इस आदेश के राजपत्र में प्रभावित की तारीख से 60 (साठ) दिन के अंदर संदेय होगा ।

4. कंपनियों के समामेलन की शर्तें

4.1 नियत तारीख को ही, अंतरक कंपनी नियत तारीख की अंतरक कंपनी के सभी संयंत्र आस्तियां और संपत्तियां सहित बिना समापन के और संपूर्ण उपक्रम विघटित हो जाएंगे और

नियत तारीख को अंतरक कंपनी की बाध्यताएं किसी पक्षकारों के और कार्य के बिना और तृतीय पक्षकारों के सहमति के बिना गामी समुत्थान के रूप अंतरिती कंपनी में उसे अंतरित और उसमें विहित या उस में अंतरित मानी जाएंगी ।

4.2 उपरोक्त की साधरणतया पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपरोक्त अंतरण में सभी भंडार, कार्यचालन पूंजी, कर पात्रता और देयताएं, स्थिर और जंगम परिसंपत्तियां तथा संपत्ति, जिसमें पट्टे पर दी गई अथवा भूमि शामिल है, किसी भी स्वरूप की अन्य सभी परिसम्पत्तियां (मूर्त अथवा अमूर्त) विनिधान एवं ऋण तथा अग्रिम उस पर ब्याज साहित, पट्टा तथा किराया खरीद करार, शक्तियां, प्राधिकार, आबंटन, अनुमोदन, सहमति, आशयपत्र, औद्योगिक एवं अन्य सरकारी अथवा कानूनी अनुज्ञप्ति, रजिस्ट्रीकरण, अधिकार, पट्टा, अनुमति एवं अनुज्ञप्ति करार, स्वत्व, ब्याज, किसी भी स्वरूप के लाभ और फायदे तथा कहीं भी स्थिति हो, स्वामित्व से संबंधित अथवा स्वामित्व, शक्ति अथवा अधिकार आवेदनों, व्यापार चिन्ह, सेवा चिह्न, ट्रेड नामों, प्रतिलिप्याधिकार और/अथवा उससे संबंधित कोई भी लंबित आवेदन और अन्य औद्योगिक गुण तथा जो भी हो किसी भी प्रकृति के अधिकार और लाइसेंस समनुदेशित, उनसे संबंधित अनुदानों, विशेषाधिकारों, स्वतंत्रता, किराएदारी, सुगमता, लाभ, पट्टों, फ्लैटों का स्वामित्व, गुडविल, कोटा अधिकार, परमिट, अनुमोदन, अनुज्ञप्तियों, प्रयोग का अधिकार और फोन, टैलेक्स, फैसीमल ओर अन्य संचार सुविधाओं, कनैक्शन, उपस्करों का उपयोग और संस्थापन, उपयोगिता, बिजली, इलैक्ट्रानिक और प्रत्येक प्रकार, प्रकृति और विवरण जो भी हो की अन्य सभी सेवाओं, अर्जित धन और/अथवा सुरक्षा जमाओं, भंडारों, प्रावधानों, निधियों, सभी समझौतो के लाभ, प्रबंधन, इमदाद, अनुदानों, टैक्स क्रेडिट, ब्रिकी कर, कारोबार कर, सेवा कर, कस्टम और अंतरक कंपनी को हुए सभी अन्य लाभ, किसी भी स्वरूप के समग्र कारोबार तथा लाभ और फायदे किसी भी स्थित वस्तुएं, स्वामित्व में, शक्ति अथवा कब्जे में, अंतरक कंपनी के नियंत्रण में अथवा उसके पक्ष में मंजूर अधिनियम की धारा 396 के प्रावधानों के अनुसरण में अंतरीती कंपनी में जाने वाले उपक्रम में निहित होगी अथवा स्थानांतरित समझी अथवा हुई मानी जाएगी ताकि नियत तारीख को संपदा, परिस्थितियों, अधिकार, स्वत्व और अंतरिती कंपनी के हो जाएंगे । जंगम परिसंपत्ति के विहित का ढंग पैरा 43 के अनुसार होगा ।

4.3 4.1 और 4.2 में उल्लिखित संपत्तियों के निहित होने की रीति :

(क) इस प्रकार की उक्त संपत्तियों के संबंध में चाहे वे अचल स्वरूप की हो अथवा मैनुअल डिलीवरी द्वारा अंतरित की जा सकती हों अथवा पृष्ठांकन और परिदान द्वारा अंतरक कंपनी को हस्तांतरित की जा सकती हो और उसके किसी विलेख अथवा अंतरण पद के लिखित के बिना अंतरीति कंपनी की संपत्ती बन जाएगी ।

(ख) उपरोक्त पैरा 4.3(क) में उल्लिखित संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों की बाबत कोई कार्रवाई किए बिना लिखित अथवा विलेख नियत तारीख को अंतरिती कंपनी में हस्तांतरित और विहित माने जाएंगे ।

(ग) उपरोक्त खंड 4..3(क) में उल्लिखित स्थिर परिसंपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों के संबंध में विविध ऋण, बकाया ऋण, नकद अथवा किस्म में लौटाने योग्य अग्रिम योग्य अग्रिम अथवा प्राप्त होने वाला मूल्य, बैंक में शेष, सरकारी, अर्ध सरकारी, स्थानीय और अन्य प्राधिकारियों, निकायों आदि के पास जमा अंतरक कंपनी द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा और उसके लिए बिना किसी विलेख अथवा लिखत के बिना अंतरिती कंपनी की संपत्ति बन जाएगी और इसके बाद किसी तीसरे पक्षकार अथवा व्यक्ति जो किसी अथवा व्यवस्था के कारण उसका एक पक्षकार है, की सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा, इस प्रकार के ऋण अथवा व्यवस्था के कारण उसका एक पक्षकार है, की सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा, इस प्रकार के ऋण अथवा अग्रिम इस खंड के उपबंधो को लागू करने के लिए है, अंतरिती कंपनी यदि आवश्यक हो तो इस स्कीम के अनुसरण में इस प्रकार के व्यक्ति अथवा बेहतर को जो भी उपयुक्त और उचित समझे इस प्रकार के प्रपत्र में नोटिस दे सकती है । उक्त व्यक्ति अथवा ऋणि द्वारा ऋण अग्रिम वापिस करना चाहिए तथा अंतरक कंपनी के अधिकार के स्थान पर अंतरिती कंपनी का उसे वसूल करने और प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

4.4 नियत तारीख को ही,-

(क) इस आदेश की शर्तों के निबंधनों अनुसरण में निर्वापित की जा रहीं देयताओं के अलावा अंतरक कंपनी के सभी ऋण, देयताएं,कर और बाध्यताएं अंतरिती कंपनी द्वारा आगे कोई कार्रवाई, लिखत अथवा विलेख के बिना अंतरिती कंपनी को अंतरित हो गए है अथवा अंतरित

हुए माने जांएगे ताकि नियत तारीख को अंतरिती कंपनी के ऋण, देयताएं, कर और बाध्यताएं इस पैरा के उपबंध को लागू करने के लिए है । नियत तारीख से पूर्व अंतरक कंपनी द्वारा सृजित कोइ ऋण, निक्षेप अथवा ऋणग्रस्तता बढ़ी हुई सुरक्षा के लिए पैरा में कुछ नहीं है तथा नियत तारीख के पश्चात अथवा अन्यथा आगे कोई अथवा अतिरिक्त सुरक्षा सृजित करने के लिए अंतरिती कंपनी किसी भी तरीके से आवश्यक अथवा बाध्य नहीं होगी ।

(ख) अंतरक कंपनी और अंतरिती कंपनी के बीच कोई भी ऋण अथवा बाध्यताएं उन्मोचित मानी जाएंगी और नियत तारीख से उनकी ओर से कोई देयता नहीं होगी । लेखा खातों में दिए अनुसार नियत तारीख को कारोबार शुरु करने पर अंतरक कंपनी के सभी ऋण देयताएं, शुल्क और बाध्यताएं और अन्य सभी बाध्यताएं जो कि नियुक्ति की तारीख को अथवा उसके बाद होगी, अंतरिती कंपनी के ऋण, देयताएं, शुल्क और बाध्यताएं होंगी ।

(ग) लेखा खातों में दिए अनुसार नियत तारीख को अंतरक कंपनी के सभी ऋण, देयताएं, शुल्क और बाध्यतांए और अन्य सभी बाध्यताएं जोकि नियत तारीख को अथवा उसके बाद होंगी, परिसंपत्तियां तथा प्राप्य अथवा अन्यथा जैसी भी स्थिति हो अंतरिती कंपनी की होंगी ।

4.5 राजपत्र में इस आदेश की अधिसूचना की तारीख से ही अधिनियम की धारा 293(1) के खंड (i) के निबंधनों के अनुसार अंतरिती कंपनी के ऋण अंतरिती कंपनी की ओर से आगे कोई कार्रवाई किए बिना अथवा विलेख के अंतरक कंपनी की प्राधिकृत ऋण सीमा के बराबर बढ़े हुए माने जाएंगे, इस प्रकार की सीमाएं अंतरिती कंपनी की विद्यमान सीमाओं के लिए वृद्धिपरक होगी और यदि आवश्यक हुआ तो अधिनियम के उपबंधों अनुसार शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करके अंतरिती कंपनी द्वारा समय पर ये सीमाएं बढ़ाई जा सकती है ।

4.6 राजपत्र में इस आदेश के जारी होने के पश्चात् अंतरिती कंपनी किसी भी समय यदि आवश्यक हुआ तो किसी कानून के तहत अथवा अन्यथा किसी करार अथवा व्यवस्था के लिए किसी अन्य पक्षकार के पक्ष में पुष्टि विलेख कर सकती है जिसके लिए किसी अन्य पार्टी के पक्ष में पुष्टि विलेख कर सकती है जिसके लिए सिक्योड क्रेडिटर्स अथवा अंतरक कंपनी पक्षकार है अथवा कोई लिखत जो कि उपरोक्त उपबंधो के तहत औपचारिक रूप से लागू करने के लिए निष्पादित की जानी आवश्यक हो । अंतरिती कंपनी योजना के उपबंधों के तहत अंतरक कंपनी की ओर से कोई लिखत निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत मानी जाएगी

तथा उनकी ओर से की जाने वाली अथवा निष्पादित की जाने वाली उपरोक्त संदर्भित इस प्रकार की सभी औपचारिकताएं अथवा अनुपालन को कार्यान्वित करेगी ।

4.7 नियत तारीख को ही सभी करार, विलेख, बंधपत्र, करार, व्यवस्था सहित परंतु सभी बिक्री कर छूट तक सीमित नहीं तथा आस्थगित लाभ और/अथवा कोई अन्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कर लाभ तथा अन्य सभी लिखत चाहे वे किसी भी स्वरूप के हों जिनमें अंतरक कंपनी एक पक्षकार है अथवा जिसके लाभ के लिए अंतरित कंपनी पात्र हो सकती है और जो प्रभावी तारीख से तत्काल पहले निर्वाह अथवा प्रभावी हो, पूरी तरह लागू होगी और अंतरिती कंपनी के विरुद्ध अथवा पक्ष में हो जैसी भी स्थिति हो, पूरी तरह से प्रभावी ढंग से लागू होगी । यदि अंतरक कंपनी के स्थान पर अंतरिती कंपनी पक्षकार अथवा लाभार्थी अथवा बाध्यकर्ता रही हो । जहां आवश्यक होगा अंतरिती कंपनी विलेख, लिखत अथवा पुष्टिकरण इंटर और/अथवा जारी और/अथवा निष्पादित करेगी, त्रिपक्षीय व्यवस्था, पुष्टिकरण, नोटेशन करेगी जिसे अंतरक कंपनी आवश्यक समझती हो, इस खंड के उपबंधों को औपचारिक रूप से लागू करने के लिए एक पक्षकार भी हो सकती है ।

4.8 अंतरिती कंपनी नियत तारीख की स्थिति के अनुसार विलय के बाद का समेकित तुलन पत्र तैयार करेगी और इसे अंतिम रूप देगी । (इसके आगे **'समेकित तुलन पत्र'** कहा गया है) यह तुलन पत्र नियत तारीख की स्थिति के अनुसार हस्तांतिरित कंपनी का प्रारंभिक तुलन पत्र होगा । निर्धारित तारीख की स्थिति के अनुसार स्कीम के निबंधनों के अनुसार समामेलित हस्तांतिरित कंपनी के लेखाओं को निर्धारित तारीख की स्थिति के अनुसार स्कीम के अनुरूप समेकित तुलन पत्र के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा ।

4.9 **समामेलन के विनिर्दिष्ट निबंधन**

अंतरक कंपनी के वित्तीय विवरणों को इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी तारीख 2 मई, 2008 के पत्र संख्यां 4(52)/2005 की शर्तो के अनुसार पुनः तैयार किया जाएगा :

(क) 31 मार्च, 2006 को अंतरक कंपनी के 161.49 करोड़ रुपए के बकाया और भारत सरकार को देय तथा भुगतान योग्य ऋण में से,-

(i) वर्ष 2002-2003 में मंजूर 145 करोड़ रुपए के गैर-योजना ऋण को भारत सरकार द्वारा अधित्यजन किया माना जाएगा ; और

(ii) लगभग 16.50 करोड़ रुपए की शेष धनराशि के लिए भारत सरकार को हस्तांतरणकर्ता कंपनी में मूल्यानुसार पूर्ण प्रदत्त साम्या शेयर जारी किए जाएंगे ।

(ख) 1 अप्रैल, 2005 को मौचनीय 12.05 करोड़ रुपए के 7 प्रतिशत गैर-संचयी मोचनीय शेयर अंतरक कंपनी के समूल्य पर पूर्ण प्रदत्त साम्या शेयरों के नए निर्गम द्वारा संशोधित माने जाएंगे ।

(ग) भारत सरकार द्वारा सभी प्रकार के अधित्यजन/समायोजन/समापन के बाद अंतरक कंपनी के शेष शेयर केवल 1 रुपए के नाममात्र के मूल्य पर अंतिरिती कंपनी को अंतरित माने जाएंगे ।

(घ) अंतरक कंपनी की निम्नलिखित संचित हानि अंतरक कंपनी की 227.19 करोड़ रुपए की प्रदत्त साम्या शेयर पूंजी (साम्या में परिवर्तित किए जाने वाले ऋणों सहित) के तहत समाप्त मानी जाएगी :

(i) अंतरक कंपनी में फायरक्ले एंड इंसूलेशन कंपनी (आईएफआईसीओ) के विलय के कारण लेखाओं में 22.31 करोड़ रुपए के बकाया, और

(ii) अंतरिती कंपनी के मूल्यांकन के आधार पर चालू परिसंपत्तियों की पुनसंरचना के कारण 30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त हानि, और

(iii) 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार शेष संचित हानि के रूप में बकाया 173.73 करोड़ रुपए ।

(ङ) भारत सरकार के ऋणों पर 31 मार्च, 2006 तक प्रोदभूत 40.91 करोड़ रुपए का ब्याज भारत सरकार द्वारा अधित्यजित किया गया माना जाएगा ।

(च) भारत सरकार द्वारा अंतरक कंपनी को दिसंबर, 2006 में उपलब्ध करवाए गए 30.46 करोड़ रुपए के गैर-योजना ऋण और उस पर ब्याज को भारत सरकार द्वारा अधित्यजित किया गया माना जाएगा ।

4.10 औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने अपने तारीख 20 अप्रैल, 2006 के आदेश के अनुसार निम्नानुसार उपबंधित किया है :

(क) राज्य सरकार (झारखंड और छत्तीसगढ़) से सहायता ।

(i) पुनर्वास की अवधि के दौरान 5 वर्ष की अवधि के लिए बिक्री कर और प्रवेश कर/बकाया को आस्थगित करने पर विचार करना ।

(ii) सभी 4 इकाईयों के संबंध में 31 दिसंबर, 2002 तक प्रोदभूत बकाया विद्युत शुल्क के विलंबित भुगतान पर अधिभार के अधित्यजन करने पर विचार करना ।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन केन्द्रीय सरकार से सहायता ।

(i) उक्त अधिनियम की धारा 41(1) के उपयोज्यता की प्रयोज्यता से भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड को छूट देने पर विचार करना ।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 72 में किए गए उल्लेख के अनुसार भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड का इसकी अनुमति देने पर विचार करना कि कंपनी भावी लाभों के संचित हानि को समाप्त करने के लिए संचित हानि, गैर समावेशित निवेश भत्ते आगे ले जाने तथा समाप्त करने की अवधि को सीमित किए बगैर आगे ले जा सके ।

(iii) उक्त अधिनियम की धारा 115ञ के उपबंधों की प्रयोज्यता से कंपनी को किए गए पिछले निर्धारण सहित छूट देने पर विचार करना ।

(ग) कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन केन्द्रीय सरकार से सहायता

(i) पुनर्वास योजना के अनुसार और पूंजी निर्गमित करने के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 81(1) के प्रावधानों की प्रयोज्यता से भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड को छूट देने पर विचार करना ।

(ii) भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड की प्राधिकृत शेयर पूंजी को 113 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए करने के लिए उक्त अधिनियम की अनुसूची दस के अनुसार संबंधित फीस के भुगतान से कंपनी को छूट देने पर विचार करना ।

(iii) कंपनी प्राधिकृत पूंजी में बढ़ोतरी करते समय उक्त अधिनियम के संबंधित उपबंधों तथा अन्य अपेक्षाओं की अनुपालन करेगी ।

(घ) केंद्रीय सरकार से सहायता (केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त) :

भविष्य निधि तथा पेंशन निधियों के विलंबित भुगतान पर शास्ति और परिनिर्धारित नुकसानी को अधित्यजित करने पर विचार करना ।

4.11 अंतरक कंपनी ने औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमार्ण बोर्ड के तारीख 20 अप्रैल, 2006 के आदेशों के अनुसरण में निम्नलिखित आवेदन किए हैं :

(i) अधिनियम की अनुसूची 10 के अनुसार प्राधिकृत शेयर पूंजी को 113 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए करने के लिए कंपनियों के रजिस्ट्रार को देय फीस को अधिनियम की धारा 620 अथवा धारा 613 के अनुसार केंद्रीय सरकार के पास, निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए अधित्यजन करने हेतु तारीख 16 जुलाई, 2006 पत्र संख्या कोय-1(7)/2006/68 के अनुसार संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय को आवेदन ।

(ii) 5 वर्ष की अवधि के लिए बिक्री कर को आस्थगित करने तथा विद्युत फीस संबंधित देयताओं के विलंबित भुगतान पर अधिभार की वापसी/समायोजन के लिए तारीख 24 जुलाई, 2006 के पत्र संख्या सीएमडी/बीआरएल/23/2006/927 के अनुसार मुख्य मंत्री, झारखंड सरकार को आवेदन ।

(iii) 5 वर्ष की अवधि के लिए बिक्री कर को आस्थगित करने तथा विद्युत शुल्क संबंध देयताओं के विलंबित भुगतान पर अधिभार की वापसी/समायोजन के लिए दिनांक 24 जुलाई, 2006 के पत्र संख्या सीएमडी/बीआरएल/23/2006/927 के अनुसार मुख्य मंत्री, झारखंड सरकार को आवेदन ।

(iv) बीआईएफआर के आदेश के अनुसार अंतरक कंपनी के संयंत्रों द्वारा भविष्य निधि तथा पेंशन निधियों के विलंबित भुगतान पर शास्ति और परिनिर्धारित नुकसानी को पूरी तरह से अधित्यजन करने के शास्ति और परिनिर्धारित नुकसानी को पूरी तरह से अधित्यजन करने के लिए 19 फरवरी, 2007 के पत्र संख्यां बीआरएल/एनडी/24/(पार्ट फाइल)/2007-58 के

अनुसार अध्यक्ष, सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, केन्द्रीय भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि, नई दिल्ली को आवेदन ।

(v) बीआईएफआर अनुमोदित स्कीम में निगमित अनुतोष और रियायतें पाने के लिए 4 दिसंबर, के पत्र संदर्भ संख्यां बीआरएल/एफए/2007/313 द्वारा आयकर (आर), भारत सरकार (राजस्व विभाग) आयकर निदेशालय (वसूली), के सहायक निदेशक को आवेदन ।

4.12 इस आदेश की अधिसूचना पर अंतरक कंपनी द्वारा उपयायोजित उक्त अधित्यजन संबंधित प्राधिकार द्वारा मंजूर किया समझा जाएंगा और अंतरक कंपनी के उपयोजन को औद्योगिक और वित्तीय संनिर्माण बोर्ड के आदेश के निबंधन में अनुज्ञात किया समझा जाएगा और इस संबंध में अंतरक कंपनी के दायित्व निष्प्रभावित समझे जाएंगे ।

5. संपत्ति की कतिपय मदों का अंतरण :

इस आदेश के प्रयोजन के लिए नियत तारीख को ही अंतरक कंपनी के सभी लाभ या हानि या दोनों यदि कोई हों जब अंतरिती कंपनी में अंतरित होती है तो संबंधित आस्तियों और दायित्वों के भाग रूप में होंगी और राजस्व आरक्षितियां या कभी यथास्थिति अंतरिती कंपनी की हो जाएंगी ।

6. संविदाओं आदि की व्यावृत्ति :

इस आदेश में अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए नियत तारीख को ही सभी संविदाएं विलेख, बंधपत्र, करार और अन्य लिखत चाहे वे किसी भी प्रकृति के हों जिनकी अंतरक कंपनी पक्षकार है जो नियत दिन से ठीक पूर्व अस्ततित्व में हैं या प्रभाव रखते हैं, अंतरिती कंपनी के विरुद्ध या उसमें पक्ष में पूर्णतः प्रवृत्त और प्रभावी होंगे और उन्हें वैसे ही पूर्ण और प्रभावी रूप से प्रवृत्त किया जा सकेगा मानों अंतरक कंपनी के स्थान पर अंतरिती कंपनी उसकी एक पक्षकार हो । कोई अंतरक कंपनी और अंतरिती कंपनी के बीच कोई आंतरिक संविदाएं इस आदेश और इसकी अधिसूचना जारी होने पर अंतरिती कंपनी में विलयित और विहित होंगी ।

7. विधिक कार्यवाहियों की व्यावृति

यदि नियत दिन को अंतरक कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद, रिट याचिका, अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियां चाहे किसी प्रकृति के हो (जिसे इसमें इसके पश्चात्

कार्यवाहियां कहा गयां है) लंबित हैं वो इस अंतरक कंपनी के समामेलन के कारण या इस आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के कारण उपशमित, बाधित निरंतर नहीं होगी या किसी भी तरह प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा किंतु या किसी प्रभार से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगी किंतु उसी रीति में अंतरिती कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध कार्यवाहियां जारी अभियोजन और प्रवृत की जा सकेगी जिस प्रकार के अंतरक कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी अभियोजित या प्रवृत्त होगी मानों यह आदेश या और इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई है ।

8. कराधान की बाबत उपबंध

(i) संचित हानियां और गैर आमेलित अवक्षयण और नियत दिन के पूर्व अंतरक कंपनी द्वारा चलाए जा रहे कारबार के विनिधान भत्ते सहित लाभ और अभिलाभ की बाबत सभी कर, समामेलन के परिणाम स्वरूप आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) में अधीन अनुज्ञात की जा सकने वाली ऐसी रियायतें और अनुतोष के अध्यधीन अंतरिती कंपनी द्वारा संदेय होगी पूर्वोक्त समान्यतः पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अंतरिती कंपनी को स्पष्ट रूप से आयकर विवरणी और संबंध टीडीएस प्रमाणपत्र को पुनरीक्षित करने और इस आदेश के निबंधनों के अनुंसरण में नियत तारीख को समेकित तुलनपत्र में यथारूप से प्रतिबिंबित दोनों कंपनियों के संयुक्त लेखाओं के आधार पर प्रतिदाय दावे, अग्रिमकर प्रत्यय आदि और प्रतिदाय दावे समायोजन प्रत्यय मुजरा अग्रिम कर के अधिमान की अनुज्ञा दी जाती है जो प्रभावी रूप से आरक्षित हैं ।

(ii) नियत तारीख से ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अधीन विरचित सेनवेट प्रत्यय नियम, 2009 के अनुसार जो इस आदेश की अधिसूचना की तारीख को प्रचालित है, अंतरक कंपनी सेनवेट प्रत्यय उपयोजन अंतरित कंपनी को अंतरित समझे जाएंगे मानो यह अंतरिती कंपनी के खाते में सेनवेट प्रत्यय उपयोजित हों । यह घोषणा की जाती है कि सेनवेट प्रत्यय का अंतरण में जिसमें पूंजी माल की अंतरक कंपनी द्वारा अंतरिती कंपनी को किया जाता है सहित प्रक्रिया में निवेश में स्टाक के रूप में अनुज्ञात किया जाता है, निवेश या पूंजी माल जिस पर प्रत्यय उपलब्ध कराया गया है, सम्यक रूप से गणना की जाएगी ।

9 अंतरक कंपनी के विद्यमान अधिमानी और अन्य कर्मचारियों के बारे में उपबंध

अंतरक कंपनी की सेवा में सभी कर्मचारिवृंद, कर्मकार या कर्मचारी नियत तारीख के ठीक आगामी तारीख को अंतरिती कंपनी के कर्मचारी इस आधार पर हो जाएंगे :

(i) उनकी सेवा जारी रहेंगी अंतरक कंपनी के समामेलन के कारण सेवा में व्यवधान नहीं माना जाएगा ;

(ii) नियत तारीख के ठीक पूर्व अंतरक कंपनी का पूर्ण कालिक निदेशक (कर्मचारी) सहित प्रत्येक पूर्णकालिक अधिकारी, स्कीम की नियत तारीख के क्रियान्वयन पर अंतरिती कंपनी का यथास्थिति अधिकारी कर्मचारी हो जाएगा, अंतरिती कंपनी के सभी सेवा की शर्तें और नियोजन अंतरक कंपनी के कर्मचारी को लागू होंगी । एकरूपता लाने के क्रम में अंतरक कंपनी के कर्मचारी वेतन के संरक्षण (मूल + मंहगाई भत्ते) सहित अंतरिती कंपनी में 1 जनवरी, 1997 से वेतन/मजदूरी से पूर्व वेतनमान ले रहे हैं, समतुल्य वेतनमान में आमेलित हो जाएंगे । ऐसा करते समय, सावधानी रखनी होगी जिसमें अंतरिती कंपनी और अंतरक कंपनी की आंतरिक ज्येष्ठता में व्यवधान न हो और यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारी एक श्रेणी से निम्नत्तर न हो और किसी भी परिस्थिति में ई-0 वेतनमान और गैर कार्यपालक न होगा ।

(iii) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 396 केन्द्रीय सरकार पर बाध्यता लगाती है कि यह स्वयं संतुष्ट करें कि समामेलन या विलयन के लिए स्कीम लोक हित के विरुद्ध नहीं हैं ऐसे समाधान का मूल सिद्धांत यह है कि यह संप्रेक्षण किया जाए कि अंतरक कंपनी के कर्मचारियों के हित समामेलन की स्कीम द्वारा संरक्षित हैं जिन्हें उनके लिए अनुचित नहीं होना चाहिए ।

(iv) धारा 396 के अधीन शक्तियों का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है यदि समामेलन लोक हित में है "लोक हित" शब्द से कर्मचारियों को हित भी प्रकट होता है । केवल शेयरधारकों के हितों को ध्यान में रखने और कर्मचारियों के हितों का ध्यान न रखना, कंपनी अधिनियम की धारा 396 की आज्ञा के पूर्ण विरुद्ध है ।

(v) समामेलन व्यवस्था में अंतरक कंपनी के कर्मचारियों के हित का ध्यान रखा जाना चाहिए और अंतरक कंपनी के कर्मचारियों की सेवा-शर्तें समामेलन स्कीम के क्रियान्वयन द्वारा विद्यमान सेवा शर्तों की अपेक्षा खराब नहीं होना चाहिए । उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समामेलन की स्कीम में अंतरक कंपनी के कर्मचारियों के हित का संरक्षण हो । सभी फायदे जो अंतरिती कंपनी के कर्मचारियों को उपलब्ध हैं, चिकित्सीय फायदों सहित नियत तारीख से अंतरक कंपनी के कर्मचारियों को उपलब्ध होंगे । कर्मचारियों के वृहत हित में दस हजार रुपए जो अंतरक कंपनी के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान के अनुमति में अग्रिम रूप में दिया गया और इस सद्भावना प्रदर्शन को रूप में अंतरिती कंपनी द्वारा उनसे वसूला नहीं जाएगा । स्वैच्छिक के सेवा निवृत्ति स्कीम (वीआरएस) के संबंध में शिकायतें और अंतरक कंपनी के भूतपूर्व कर्मचारियों के चिकित्सीय फायदे इस्पात मंत्रालय द्वारा उपयुक्त रूप से संबोधित किए जाएंगे ।

10. निदेशकों की समाप्ति

अंतरक कंपनी का प्रत्येक निदेशक (गैर कर्मचारी) जो इस आदेश की अधिसूचना की तारीख से ठीक पूर्व पद धारण कर रहा है वह इस आदेश की अधिसूचना की तारीख की अंतरक कंपनी का निदेशक नहीं रहेगा ।

11. भविष्य निधि की सततता

जहां तक अंतरक कंपनी के कर्मचारिवृंद कर्मकारों और अन्य कर्मचारियों के फायदें के लिए, भविष्य निधि उपदान निधि, अधिवर्षिता निधियां कोई अन्य विशेष विधि के सृजन या बने रहने का संबंध है वहां अंतरिती कंपनी, सभी प्रयोजनों के लिए कंपनी के लिए प्रतिस्थापित समझी जाएंगी जो कुछ ऐसी निधियों के प्रशासन या प्रचालन से संबंधित है या अपने अपने ब्याज विलेखों में उपबंधित निबंधनों के अनुसार ऐसी निधियों को उपबंधो के अनसार उक्त निधियों में अंशदान करने के लिए बाध्यता से संबंधित है । ऐसी निधियों के संबंध अंतरक कंपनी के सभी अधिकार, कर्तव्य, शक्तियां और बाध्यतांए उन अंतरिती कंपनी की हो जाएंगी और ऐसी निधियों के अधीन अंतरक कंपनी में नियोजित कर्मचारियों के सभी अधिकार, कर्तव्य और ऐसे फायदें संरक्षित माने जाएंगे ।

12 अंतरक कंपनी का विघटन

इस आदेश और इसकी अधिसूचना के जारी होने पर, अंतरक कंपनी का, नियत तारीख को परिसमापन के बिना, अंतरक कंपनी विघटित मानी जाएगी और इस आदेश के उपबंधों को प्रवृत्त होने के लिए जो आवश्यक हो, के सिवाए कोई व्यक्ति अंतरक कंपनी के विरुद्ध किसी दावे, मांग या कार्यवाही दृढ़ता से नहीं कर सकेगा या ले सकेगा ।

13. कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा आदेश का रजिस्ट्रीकरण

अंतरक और अंतरिती कंपनी, यथाशीघ्र इस आदेश में राजपत्र में अधिसूचित होने के पश्चात, इस आदेश की एक प्रति कंपनी रजिस्ट्रार राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली और हरियाणा (अंतरिती कंपनी के संबंध में) और कंपनी रजिस्ट्रार पटना, बिहार (अंतरक कंपनी के संबंध में) को भेजा जाएगा, जिसमें प्राप्त होने पर कंपनी रजिस्ट्रार अंतरिती कंपनी द्वारा विहित फीस के संदाय पर आदेश को रजिस्टर करेगा और इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर उसमें रजिस्ट्रीकरण को स्वयं प्रमाणित करेगा । तत्पश्चात् कंपनी रजिस्ट्रार राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली और हरियाणा के रजिस्ट्रार अंतरक कंपनी से संबंधित सभी रजिस्ट्रीकृत अभिलिखित दस्तावेज को रखेगा और फाइल करेगा स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के फाइल होने पर जिसको विघटित कंपनी समामेलित और समेकित हो गई हैं और उसकी फाइल पर ऐसी समेकित दस्तावेज को रखेगा ।

14. अंतरिती कंपनी के ज्ञापन और संगम अनुच्छेद

अंतरक कंपनी के ज्ञापन और संगम अनुच्छेद अर्थात भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड जो नियत दिन के ठीक पूर्व थे, अंतरिती कंपनी अर्थात स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद हो जाएंगे ।

[फा. सं. 24/8/2008-सीएल-III]

रेनुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 28th July, 2009

S.O. 1847(E).— Whereas, the Central Government is satisfied that it is essential in the public interest that the M/s. Bharat Refractories Limited, a Government of India undertaking incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) having its registered office at Indira Gandhi Marg, Sector-IV, Bokaro Steel City-827 004 (hereinafter referred to as the "**transferor company**") should be amalgamated with M/s. Steel Authority of India Limited (SAIL), a Government of India undertaking incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) having its registered office at Ispat Bhawan, Lodhi Road, New Delhi-110003 (hereinafter referred to as the "**transferee company**"), into a single company for the purpose of enabling the undertaking currently owned and operated by the transferor company, which is producing items and material necessary for the steel manufacturing industry, to be able to modernize and function in an efficient and financially viable manner, achieve size, scale, integration and greater financial strength and flexibility and thereby contribute to the efficient utilization of the overall steel manufacturing capacity of the country;

AND WHEREAS, the transferor company was referred to Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) in 1992 on the erosion of its networth mainly due to technological obsolescence, ageing of plant and equipments, low capacity utilization, lower price realization of finished products and lack of necessary capital investments;

AND WHEREAS, on the recommendation of the BIFR three revival packages were implemented in the years 1996, 1999 and 2002, but the transferor company could not be revived and continued to incur losses and had a negative networth;

AND WHEREAS, after obtaining due approval of the BIFR, the Government of India Ministry of Steel vide letter Ref. No. 4 (52)/2005-HSM dated the May 2, 2008 has approved the amalgamation of the transferor company with the transferee company and permitted them to initiate the process of amalgamation under section 396 of the Companies Act, 1956;

AND WHEREAS, the Board of Directors of the transferor company has approved the scheme of amalgamation in the Board meeting held on 10th July, 2008 and its shareholders have approved the scheme of amalgamation in their Annual General Meeting held on 12th September, 2008. Similarly, the Board of Directors of transferee company has approved the scheme of amalgamation in the Board Meeting held on 27th

June, 2008 and its shareholders have approved the scheme of amalgamation in their Annual General Meeting held on 10th September, 2008;

AND WHEREAS, no objection was received from the Mumbai Stock Exchange, where shares of the transferee company are listed;

AND WHEREAS, a draft order in respect of amalgamation of the said companies was passed on 25th November, 2008 by the Central Government, which was subsequently considered and revised on 22nd January, 2009 on the request of transferee company by the Central Government. The scheme of amalgamation along with revised draft order was published by transferee company in two newspapers, i.e., one in the English daily "Hindustan Times" New Delhi and Ranchi Edition and in Hindi daily of "Hindustan" in New Delhi, Ranchi, Jamshedpur and Dhanbad edition on January 30, 2009 and by the transferor company in English daily "Hindustan Times" in Dhanbad and Ranchi edition on January 31, 2009 and in Hindi daily "Hindustan" in Dhanbad and Ranchi edition on February 1, 2009 and also placed on the website of both the companies;

AND WHEREAS no objections were received from shareholders of both the companies. The objections received were from ex-employees as well as unions of employees of transferor company, who were heard on May 12, 2009 and the representatives of management of aforesaid companies and their counsels were also heard. The final hearing was fixed on May 28, 2009 in which all the objectors were again given opportunity to be heard or to submit their written response. Since, certain objectors had prayed for time so all were given an opportunity to be heard;

AND WHEREAS the comments of the Registrar of Companies, Delhi and Haryana, where transferee company is registered and from Registrar of Companies, Bihar and Jharkhand, Patna, where transferor company is registered, were obtained. No objection was received from Registrar of Companies, Bihar and Jharkhand, Patna. The Registrar of Companies, Delhi and Haryana had expressed his views on the proposed scheme of amalgamation which have been taken into consideration;

AND WHEREAS the Objectors (the employees, ex-employees, representatives of various employees' union of transferor company) had desired that before the Central Government takes a decision in respect of merger of the said two companies, the following grievances may be sorted out by the transferor and transferee companies:

(i) MOU signed on 22.3.2007 by the transferor company with its employees union in respect of wage revision from 1997, should be made effective;

(ii) the advance of Rs. ten thousand paid to the employees of the transferor company in pursuance of the above wage agreement should not be recovered from them;

(iii) the effective date for amalgamation should be "Appointed date", i.e., 1.4.07 as per the Cabinet decision;

(iv) the age of retirement of the employees should be 60 years as is allowed for the employees of the transferee company;

(v) medical benefit to employees/ ex-employees should be as per the service rules of transferee company;

(vi) those employees of transferor company who had opted for Voluntary Retirement Scheme (VRS) and their gratuity amount was paid after almost 17 months. In such cases interest should be paid for the delayed period;

(vii) the transferee company should agree to abide by orders of the courts as several issues are under consideration of various courts in respect of service conditions and payments to employees and ex-employees;

AND WHEREAS, the objections of the employees, ex-employees, employees' union of transferor company were not against amalgamation scheme per se but the objections related to the issues stated above;

AND WHEREAS, during the course of hearing, counsel of the transferee company drew attention to the mandate of the forum and quoted certain judgments of the Supreme Court relating to mergers and amalgamation under sections 391-394 of the Companies Act, 1956 and stating that the Court can intervene only when the amalgamation scheme is not just and fair or prejudicial to the interest of the shareholders. The employees of transferor company not being shareholders of the company, their objections cannot be heard or taken into account by this forum. They further pointed out that wage revision as per the Memorandum of Understanding between the transferor company management and its employee union had not been considered by the Central Government as the company's financial position did not allow the same. The company was continuously in losses and having negative networth;

AND WHEREAS, the matter under consideration is under section 396 of the Companies Act. Under section 396 of the Companies Act, 1956 while examining sustenance or viability of the scheme of amalgamation, the interests of employees have to be definitely taken into account in larger public interest. This position is in consonance with various judgments rendered by the apex Court;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 396 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following order to provide for the amalgamation of said two companies.

1. **Short Title.-** This Order may be called the Bharat Refractories Limited and the Steel Authority of India Limited Amalgamation Order, 2009.

2. **Definitions-** In this order, unless the context otherwise requires,-

(a) **"Act"** means the Companies Act, 1956;

(b) **"appointed date"** means April 1, 2007. The merger would be deemed to have taken place with effect from 1st April, 2007 and from that day onwards transferor company would become a part of transferee company, for all legal and accounting purposes including those of employees' benefits;

(c) **"Scheme"** means the scheme of amalgamation of Bharat Refractories Limited with Steel Authority of India Limited pursuant to section 396 of the Act;

(d) **"transferee company"** means Steel Authority of India Limited, a Government company incorporated under the provisions of the Act and having its registered office at Ispat Bhawan, Lodhi Road, New Delhi –110003;

(e) **"transferor company"** means Bharat Refractories Limited, a Government company incorporated under the provisions of the Act and having its registered office at Indira Gandhi Marg, Sector IV, Bokaro Steel City – 827 004.

3. **SHARE HOLDING PATTERN**

The share holding pattern of the two companies as on 31st March 2007 is as under:

(a) The capital structure of the transferor company as on March 31, 2007 is as under:

Authorised	**Amount in Rupees**
Equity shares: 23,30,00,000 number of Equity shares of Rs. 10/- each	233,00,00,000.
Preference shares 1,29,00,000 7% Non-Cumulative Redeemable Preference Shares of Rs. 10/-each	12,90,00,000.
50,000 7.5% Cumulative Redeemable Preference Shares of Rs. 10/-each	5,00,000.
50,000 9.5% Cumulative Redeemable Preference Shares of Rs. 10/-each	5,00,000.

Issued, subscribed and paid-up :	**Amount in Rupees**
Equity Shares:21,76,90,800 Equity Shares of Rs. 10/- each	217,69,08,000.
Preference Shares: 1,20,50,000 7% Non – Cumulative Redeemable preference Shares of Rs. 10/-each Due for redemption on March 31, 2005):	12,05,00,000.
13,450, 7.5% Cumulative Redeemable Preference Shares of Rs. 10 each (Due for Redemption on March 31, 2015):	1,34,500.
40,000 9.5% Cumulative Redeemable Preference Shares of Rs. 10 each (Due for Redemption on March 31, 2015):	4,00,000.

(b) The capital structure of the transferee company as on March 31, 2007, is as under:

Authorised:	**Amount in Rs.**
500,00,00,000 Equity shares of Rs.10/- each	5000,00,00,000.
Issued, subscribed and paid-up:	
413,04,00,545 Equity shares of Rs.10/ each	4130,40,05,450.

(c) The 13,450, 7.5% Cumulative Redeemable Preference shares of Rs. 10 each which are due for redemption on March 31, 2015, have been valued, as on March 31, 2007, at Rs. 10 per share pursuant to the valuation report received from M/s Axis Bank Ltd. Each shareholder who owns and holds 7.5% Cumulative Redeemable Preference Shares of Rs. 10 each shall be entitled to a compensation of Rs. 10 per share in cash. In addition to this, each such preference shareholder shall be paid in cash the arrears of preference dividend. The total compensation shall be payable within 60 (sixty) days of the publication of this order in the Official Gazette.

(d) The 40,000, 9.5% Cumulative Redeemable Preference Shares of Rs. 10 each which are due for redemption on March 31, 2015, have been valued, as on March 31, 2007, at Rs. 10 per share pursuant to the valuation report received from M/s Axis Bank Ltd. Each shareholder who owns and holds 9.5% Cumulative Redeemable Preference Shares of Rs. 10 each shall be entitled to a compensation of Rs. 10 per share in cash. In addition to this, each such preference shareholder shall be paid in cash the arrears of preference dividend. The total compensation shall be payable within 60 (sixty) days of the publication of this order in the Official Gazette.

(e) Every equity shareholder, other than the Government of India, who owns and holds a fully paid equity share of Rs. 10 each in the transferor company shall be entitled to a compensation of Rs. 10 per equity share, of Rs. 10 each, in cash, which value has been arrived pursuant to the decision of the transferee company as against the valuation of Rs. 3.31 per equity share arrived by the valuation report received from M/s Axis Bank Ltd. The compensation shall be payable within 60 (sixty) days of the publication of this order in the Official Gazette.

4. AMALGAMATION OF COMPANIES

4.1 On and from the appointed date, the transferor company shall dissolve without winding up and whole undertaking including the plants, all assets and properties of the transferor company as on the appointed date, and all the debts, liabilities, advances, duties and obligations of the transferor company as on the appointed date shall stand transferred to and vested in and/or deemed to be transferred to and vested as a going concern, in the transferee company without any further acts of any parties and without the consent of third parties.

4.2 Without prejudice to the generality of the aforesaid, the transfer as aforesaid shall include all the reserves, capital works in progress, tax entitlements and liabilities, movable and immovable assets and properties including land whether leased or otherwise, all other assets (whether tangible or intangible) of whatsoever nature, investments and loans and advances including interest thereon, lease and hire purchase contracts, powers, authorities, allotments, approvals, consents, letters of intent, industrial and other government or statutory licenses, registrations, rights, leases, leave and license agreements, titles, interests, benefits and advantages of any nature whatsoever and wherever situated, belonging to or in the ownership, power or possession and in the control of or vested in or granted in favour of or enjoyed by them, including but without being limited to all patents, patent rights applications, trademarks, service marks, trade names, patents, copyrights and/or any pending applications thereto and other industrial properties and rights of any nature whatsoever and licenses assignments, grants in respect thereof, privileges, liberties, tenancies, easements, advantages, benefits, leases, ownership flats, goodwill, quota rights, permits, approvals, authorizations, right to use and avail telephones, telexes, facsimile and other communication facilities, connections, equipments and installations, utilities, electricity and electronic and all other services of every kind, nature and descriptions whatsoever, earnest monies or security deposits, reserves, provisions, funds, benefit of all agreements, arrangements, subsidies, grants, tax credits, sales tax, turnover tax, service tax, customs and all other interests arising to the transferor company, the entire business and benefits and

advantages of whatsoever nature and where so ever situated belonging to or in the ownership, power or possession and in the control of or vested in or granted in favour of or enjoyed by the transferor company, stand transferred to and vested in and be deemed to be and stand transferred to and vested as a going concern, in the transferee company pursuant to the provisions of section 396 of the Act so as to become as and from the appointed date, the estate, assets, rights, title and interests of the transferee company. The mode of vesting of the movable property shall be in accordance with para 4.3 of this notification.

4.3 The mode of vesting of the properties referred in paras 4.1 and 4.2 shall be as under:

(a) In respect of properties which are movable in nature or are otherwise capable of transfer by manual delivery or by endorsement and delivery, the same may be so transferred by the transferor company and shall become the property of the transferee company without requiring any deed or instrument of conveyance for the same.

(b) In respect of the said properties other than those referred to in paragraph 4.3(a) above, the same shall, without any instrument or deed, stand transferred to and vested in and deemed to be transferred and vested in the transferee company as on the appointed date.

(c) In respect of the movable properties other than those specified in para 4.3(a) above, including sundry debtors, outstanding loans, advances recoverable in cash or in kind or for value to be received, bank balances and deposits with Government, Semi Government, Local and other authorities, bodies etc. the same shall be so transferred by the transferor company and shall become the property of the transferee company without requiring any deed or instrument of conveyance for the same and the same shall become the property of the transferee company and further that it shall not be necessary to obtain the consent of any third party or other person, who is a party to any contract or arrangement by virtue of which such debts, loans or advances have arisen in order to give effect to the provisions of this para. The transferee company may, if required, give notice in such form as it may deem fit and proper to such person or debtor pursuant to the Scheme, the said person or debtor should pay the debt, loan or advance or make good the same or hold the same to its account and that the right of the transferee company to recover and realize the same is in substitution of the rights of transferor company.

4.4 On and from the appointed date,-

(a) all debts, liabilities, duties and obligations of the transferor company other than liabilities being extinguished pursuant to the terms of this order shall also stand transferred and be deemed to be transferred to the transferee company, without any further act, instrument or deed of the transferee company, so as to become as and from the appointed date, the debts, liabilities, duties and obligations of the transferee company and further it shall not be necessary to obtain the consent of any third party or other person who is a party to any contract or arrangement by virtue of which such debts, liabilities, duties and obligations have arisen in order to give effect to the provisions of this para, provided always that nothing in this para shall enlarge the security for any loan, deposit or other indebtedness created by the transferor company prior to the appointed date which shall be transferred to and be vested in the transferee company by virtue of the amalgamation and the transferee company shall not be required or obliged in any manner to create any further or additional security therefor after the appointed date or otherwise;

(b) any loan or other obligations due between the transferor company and the transferee company shall stand discharged and there shall be no liability in that behalf from the appointed date. All debts, liabilities, duties and obligations of the transferor company as on the appointed date provided for in the books of accounts and all other liabilities which may accrue or arise on or after the appointed date shall be the debts, liabilities, duties and obligations of the transferee company;

(c) all assets and receivables whether contingent or otherwise of the transferor company as on the appointed date provided for in the books of accounts and all other assets or receivables which may accrue or arise on or after the appointed date shall be the assets and receivables or otherwise as the case may be of transferee company.

4.5 On and from the date of notification of this order in the Official Gazette, the borrowings of the transferee company, in terms of clause (i) of section 293(1) of the Act without any further act or deed on the part of the transferee company shall stand enhanced equivalent to the authorised borrowing limits of the transferor company and such limits being incremental to the existing limits of the transferee company, and if so required, those limits may be increased from time to time by the transferee company, by obtaining shareholders approval in accordance with the said provisions of the Act.

4.6 The transferee company may, at any time after the issue of this order in the Official Gazette, if so required, under any law or otherwise, execute Deed of Confirmation in favour of any other party to any contract or arrangement to which secured creditors or transferor company are party or any other deed as may be necessary to be executed in order to give formal effect to the above provisions. Transferee company shall be deemed to be authorised to execute any such writings on behalf of transferor company and to implement or carry out all such formalities or compliance referred to above on their part to be carried out or performed.

4.7 On and from the appointed date, all contracts, deeds, bonds, agreements, arrangements including but not limited to all sales tax exemptions and or deferral benefits and/or any other direct or indirect tax benefits and all other instruments of whatsoever nature to which the transferor company is a party or to the benefit of which the transferor company may be eligible, and which are subsisting or having effect immediately before the appointed date shall be in full force and effect against or in favour of the transferee company, as the case may be, and may be enforced as fully and effectually as if, instead of transferor company, the transferee company had been party or beneficiary or obligee thereto. The transferee company shall, wherever necessary, enter into and/or issue and/or execute deeds, writings or confirmations, enter into any tripartite arrangements, confirmations or innovations to which the transferor company would, if necessary, have been a party in order to give formal effect to the provisions of this clause.

4.8 The transferee company shall draw up and finalise a consolidated balance sheet (post-merger) as on the appointed date (hereinafter the "**Consolidated Balance Sheet**") which shall be the opening balance sheet of the transferee company as on the appointed date. The accounts of the transferee company as on the appointed date, as amalgamated in accordance with the terms of the Scheme shall be finalized on the basis of the consolidated balance sheet as on the appointed date pursuant to this Scheme.

4.9 **SPECIFIC TERMS OF AMALGAMATION**

The financial statements of the transferor company shall be restructured from the appointed date in terms of letter Ref. No. F. No. 4 (52)/2005–HSM dated May 2, 2008 issued by the Ministry of Steel, Government of India:

(a) Out of the total loan of Rs. 161.49 crores outstanding and due and payable by the transferor company to the Government of India on March 31, 2006,-

(i) the non-plan loan of Rs. 145 crore sanctioned in the year 2002-2003, shall stand waived by the Government of India; and

(ii) the Government of India be issued fully paid-up equity shares in the transferor company at par value for the balance amount of Rs. 16.50 crore approximately.

(b) Seven percent of the non-cumulative preference shares worth Rs. 12.05 crore due for redemption on April 1, 2005 shall stand redeemed by fresh issue of fully paid equity shares at par value of transferor company.

(c) The balance share capital of the transferor company after all the waiver or adjustments or set off, held by the Government of India, shall stand transferred to the transferee company at a token value of Re. 1 only.

(d) The following accumulated losses of the transferor company shall stand set off against the paid up equity share capital of Rs.227.19 crore of the transferor company (including loans to be converted into equity):

(i) Rs. 22.31 crore outstanding in the books due to merger of India Fireclay and Insulation Company (IFICO) with the transferor company;

(ii) Rs. 30.00 crore being the additional loss on account of restructuring of the current assets based on assessment of the transferee company; and

(iii) Rs. 173.73 crore outstanding as the remaining accumulated loss as on March 31, 2006.

(e) The interest of Rs. 40.91 crore accrued till March 31, 2006 on loan advanced by the Government of India shall stand waived by the Government of India.

(f) The non-plan loan of Rs. 30.46 crore along with the interest thereon, which was provided to the transferor company by the Government of India in December 2006, shall stand waived by the Government of India.

4.10 The Board for Industrial and Financial Reconstruction vide order dated April 20, 2006 provided as follows:

(a) Assistance from State Governments (Jharkhand and Chhatisgarh):-

(i) to consider to defer sales tax and entry tax dues or arrears over a period of five years during the period of rehabilitation;

(ii) to consider to waive surcharge on delayed payment of electricity dues accrued up to December 31, 2002 in respect of all the four units.

(b) Assistance from the Central Government under the Income-tax Act, 1961:-

(i) to consider to exempt the Bharat Refractories Limited from the applicability of provision under section 41(1) of the said Act;

(ii) to consider Bharat Refractories Limited to be eligible to carry forward the accumulated losses, unabsorbed investment allowance for setting off against the profit of the future years without limiting the period of carry forward and set off as mentioned in section 72 of the said Act;

(iii) to consider to exempt Bharat Refractories Limited from the applicability of section 115J of the said Act including previous assessment made.

(c) Assistance from Central Government under the Companies Act, 1956:-

(i) to consider to exempt Bharat Refractories Limited from the applicability of section 81 (1) of the said Act from issue of further capital in accordance with the rehabilitation scheme;

(ii) to consider to exempt Bharat Refractories Limited from payment of relevant fee as per Schedule X of the said Act for enhancement of authorised share capital of the company from Rs. 113 crore to Rs. 300 crore.

(iii) the company would comply with the relevant provisions of the said Act and other requirements while augmenting the authorized capital.

(d) Assistance from Central Government (Central Provident Fund Commissioner):
to consider to waive penal and liquidated damages on delayed payment of PF and Pension Funds.

4.11 The transferor company pursuant to the order dated April 20, 2006 of the Board for Industrial and Financial Reconstruction has made the following applications:

(i) application to the Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, New Delhi vide letter No. Coy-1 (7)/ 2006/68 dated July 18, 2006 for seeking exemption of fees payable to the Registrar for increase in the authorised share capital from Rs. 113 crore to Rs. 300 crore in accordance with Schedule X of the Act, in exercise of the power conferred on the Central Government under section 620 or under section 613 of the Act;

(ii) application to the Chief Minister of Jharkhand vide letter No. CMD/BRL/23/2006/927 dated July 24, 2006 for the deferment of the sales tax for a period of five years and the refund or adjustment of surcharge on delayed payments of electricity dues;

(iii) application to the Chief Minister of Chhatisgarh vide letter No. CMD/BRL/23/2006/927 dated July 24, 2006 for the deferment of the sales tax for a period of five years and the refund or adjustment of surcharge on delayed payments of electricity dues;

(iv) application to the Chairman, Central Board of Trustee, Central Provident Fund Organisation, Employees Provident Fund, New Delhi vide letter No. BRL/ND/24 (Pt. File)/2007-58 dated February 19, 2007 for the complete waiver of penal and the liquidated damages on the delayed payment of the Provident Fund and Pension Funds by the plants of the transferor company as per the order of BIFR;

(v) application to the Assistant Director of Income-tax (R), Government of India (Department of Revenue), Directorate of Income-tax (Recovery), New Delhi vide letter Reference Number BRL/F&A/2007-313 on December 04, 2007, for getting the relief and concessions

incorporated in the BIFR sanctioned scheme and the order as stated above.

4.12 On notification of this order, the said waivers applied for by the transferor company shall be deemed to have been granted by the respective authorities and the application of the transferor company shall be deemed to have been allowed, in terms of the order of the Board for Industrial and Financial Reconstruction and the liability of the transferor company in this regard, shall stand extinguished.

5. TRANSFER OF CERTAIN ITEMS OF PROPERTY

For the purpose of this order, all the profits or losses or both, if any, of the transferor company as on the appointed date including the revenue reserves and deficits, if any, thereof, when transferred to the transferee company, shall respectively form part of the assets and liabilities, and the revenue reserves and deficits, as the case may be of the transferee company.

6. SAVINGS OF CONTRACTS:

Subject to the other provisions contained in this order, on and from the appointed date, all contracts, deeds, bonds, debentures, agreements and other instruments of whatever nature, to which the transferor company is a party, subsisting or having effect immediately before the appointed date shall remain in full force and effect, against or in favour of the transferee company, as the case may be, and may be enforced as fully and as effectually as if, instead of the transferor company, the transferee company had been a party thereto. Any inter se contracts between the transferor company and the transferee company shall stand merged and vest in the transferee company on issue of this order and its notification.

7. SAVING OF LEGAL PROCEEDINGS

If, on the appointed day, if any suit, writ petition, appeal, revision or other proceedings of whatsoever nature (hereinafter called **"the Proceedings"**) by or against the transferor company is pending, the same shall not abate or be discontinued or be in any way prejudicially affected by reason of the amalgamation of the transferor company or of anything contained in this order, but the proceedings may be continued, prosecuted and enforced by or against the transferee company in the same manner and to the same extent as it would

be or might have been continued, prosecuted or enforced by or against the transferor company as if this order and its notification had not been made.

8. PROVISION WITH RESPECT OF TAXATION

(i) All taxes in respect of the profits and gains, including accumulated losses and unabsorbed depreciation and investment allowance of the business carried on by the transferor company before the appointed date shall be payable by the transferee company subject to such concessions and reliefs as may be allowed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) as a consequence of the amalgamation. Without prejudice to the generality of the aforesaid, the transferee company is expressly permitted to revise its Income Tax returns and related TDS certificates and to claim refunds, advance tax credits etc., on the basis of the combined accounts of both the companies as reflected in the Consolidated Balance Sheet as on the appointed date pursuant to the terms of this order and the right to claim refunds, adjustments, credits, set-offs, advance tax credits pursuant to this order becoming effective is expressly reserved.

(ii) On and from the appointed date, in accordance with the CENVAT Credit Rules, 2004 framed under the Central Excise Act, 1944 as are prevalent on the date of notification of the order, the CENVAT credit lying unutilized in the transferor company shall stand transferred to the transferee company as if the same were the CENVAT credit unutilized in the transferee company's accounts. It is declared that the transfer of the CENVAT credit stands allowed as stock of inputs as such or in process, including capital goods are also transferred by the transferor company to the transferee company. The inputs or capital goods on which the credit has been availed of have been duly accounted for.

9. PROVISIONS REGARDING EXISTING OFFICERS AND OTHER EMPLOYEES OF THE TRANSFEROR COMPANY

All the staff, workmen or employees, in the service of the transferor company, on the date immediately preceding the appointed date shall become the employees of the transferee company on the basis that :

(i) their service shall have been continuous and shall not have been interrupted by reason of the amalgamation of the transferor company;

(ii) every whole time officer, including whole time Director (employee) or other employees of the transferor company immediately before the appointed date shall become an officer, employee, as the case may be, of the transferee company and upon implementation of the Scheme from the appointed date the scheme, all the conditions of service and employment of the transferee company would be applicable to the employees of the transferor company. In order to bring uniformity, the employees of the transferor company shall be absorbed on equivalent scales of pay, taking scales prior to salary/wage revision effective from January 1, 1997 in the transferee company with protection of pay (Basic + Dearness Allowance). While doing so, care would be taken not to disturb both the transferee company's and the transferor company's internal seniority and to ensure that employees are not lowered by more than one grade and under no circumstances, E-0 scale would become non-executive scale;

(iii) section 396 of Companies Act, 1956 casts an obligation on the Central Government to satisfy itself that the scheme for amalgamation or merger is not contrary to public interest. The basic principle of such satisfaction is to observe that the interests of the employees of the transferor company are protected by the scheme of amalgamation which should not be unfair to them;

(iv) powers under section 396 can be exercised only if amalgamation is in public interest. The word "public interest" assumes the interest of the employees also. To take into account only the interest of the shareholders and not to consider the interest of employees is to completely go against the mandate of section 396 of the Companies Act;

(v) the amalgamation arrangement should take care of the interest of the employees of the Transferor Company and the service conditions of the employees of the transferor company should not be worse than the existing service conditions by implementing the scheme of amalgamation. From the various judgments of the Supreme Court and various High Courts, it can be concluded that in scheme of amalgamation the interest of employees of transferor company has to be protected. All benefits which are available to the employees of the transferee company shall be available to the employees of the transferor company from the appointed date including those of medical benefits. In the larger interest of the employees, ten thousand rupees which has been given as an advance to the employees of the transferor company in anticipation of revised pay

scales, shall not be recovered from them by the transferee company as a good will gesture. The grievances in respect of Voluntary Retirement Scheme (VRS) and medical benefits of the ex-employee of the transferor company may be suitably addressed by the Ministry of Steel.

10. POSITION OF DIRECTORS

Every Director of the transferor company (non-employee) holding office as such immediately before the date of notification of this order, shall cease to be a director of the transferor company on the date of notification of this order.

11. MEMBERSHIP OF PROVIDENT FUND

As far as provident fund, gratuity fund, superannuation fund or any other special fund created or existing for the benefit of the staff, workmen and other employees of the transferor company are concerned, the transferee company shall stand substituted for the transferor company for all purposes whatsoever related to the administration or operation of such funds or in relation to the obligation to make contributions to the said funds in accordance with the provisions of such funds as per the terms provided in the respective trust deeds. All the rights, duties, powers and obligations of the transferor company in relation to such funds shall become those of the transferee company and all the rights, duties and benefits of the employees employed in the transferor company under such funds and trusts stand protected.

12. DISOLUTION OF THE TRANSFEROR COMPANY

On issue of this order and its notification the transferor company shall stand dissolved without being wound up as on the appointed date and no person shall make, assert or take, any claims, demands or proceedings against the transferor company, except in so far as may be necessary for enforcing the provisions of this order.

13. REGISRATION OF THE ORDER BY THE REGISTRAR OF COMPANIES

The transferor and transferee companies shall, as soon as may be, after this Order is notified in the Official Gazette, send to Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana (with regards to the transferee company) and the Registrar of Companies, Patna, Bihar (with regards to the transferor company), a copy of this Order, on receipt of which the Registrars of Companies shall register the Order on payment of the prescribed fees by the transferee company and certify under his hand the registration thereof within one month

from the date of receipt of a copy of this Order. Thereafter, the Registrar of Companies National Capital Territory of Delhi and Haryana shall place all documents registered, recorded or filed with him relating to transferor company on the file of the Steel Authority of India Limited (SAIL) with whom the dissolved company has been amalgamated and consolidate these and shall keep such consolidated documents on his file.

14. MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE TRANSFEREE COMPANY

The Memorandum and Articles of Association of the transferor company, i.e., Bharat Refractories Limited as they stood immediately before the appointed day shall be the Memorandum and Articles of Association of the transferee company, viz. Steel Authority of India Limited.

[F. No. 24/8/2008-CL-III]
RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.